न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/01/2024
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2024/2

अपीलार्थी :–
श्री मन्नालाल पुत्र श्री चेतराम सैनी
निवासी –चीमा की ढाणी, दुहर चौहान
तहसील–थानागाजी, जिला अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी :–
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

प्रवेश तिथि :: 01.01.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 11.03.2024

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक 27.10.2023 के माध्यम से प्रत्यर्थी के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 13.12.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांक: 42 दिनांक: 11.01.2024 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबध में अपीलार्थी को पत्रांक 31 दिनांक 09.01.2024 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 11.03.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय)अलवर (राज.)

अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0 राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय)